भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1612
दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को उत्तर देने के लिए

आईसीएमआर का अध्ययन

1612. श्री दयानिधि मारन:
श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आईसीएमआर के उस अध्ययन का संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि 12 जनजातीय जिलों में 66 प्रतिशत मृत्यु गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के कारण हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने प्रकार की एनसीडी की पहचान की गई है;

(ख) सरकार द्वारा जनजातीय जिलों में स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और चिकित्सा अवसंरचना तक पहुंच सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य देखभाल हेतु कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और इसके अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य / संघ राज्यक्षेत्र - वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसी चिकित्सा अवसंरचना को निर्मित करने के लिए कोई कदम उठाया है जो जनजातीय चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा को जोड़ता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मन्त्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद- राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईई) ने वर्ष 2015-18 के दौरान 12 (8 पूर्वोत्तर और 4 देश के शेष भाग से) जनजातीय जिलों में 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच मृत्यु दर सर्वेक्षण किया जिसमें पाया गया कि कुल मौतों में से 66% गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के कारण हुईं। मृत्यु का मुख्य कारण एनसीडी, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां (हृदय रोग -24%) थी, इसके बाद कैंसर (11%) था। अध्ययन से संकेत मिलता है कि एनसीडी ने आदिवासी आबादी के बीच भी मृत्यु के अन्य कारणों (जैसे संक्रामक रोगों) को बदल दिया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और संसाधन आवरण के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका रोग और आघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम कैंसर की रोकथाम के लिए अवसंरचना, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता सृजन, शीघ्र निदान, प्रबंधन और कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के उपचार के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के उचित स्तर के लिए रेफरल को मजबूत करने पर केंद्रित है। एनपीसीडीसीएस के अंतर्गत 707 जिला एनसीडी क्लीनिक, 268 जिला दिवसचर्या केंद्र और 5541 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

एनएचएम के तहत और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के एक भाग के रूप में देश में सामान्य गैर-संचारी रोगों अर्थात मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सामान्य कैंसर की रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग के लिए जनसंख्या आधारित पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत, 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को तीन सामान्य कैंसर यानी मौखिक, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा की स्क्रीनिंग के लिए लक्षित किया जाता है। इन सामान्य कैंसर की स्क्रीनिंग आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के तहत सेवा वितरण का एक अभिन्न अंग है।

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र स्कीम के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अंतर्गत सामुदायिक स्तर पर कल्याण कार्यकलापों और लक्षित संचार को बढ़ावा देकर कैंसर के निवारक पहलू को सुदृढ़ किया जाता है। कैंसर के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलों में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और विश्व कैंसर दिवस का मनाया जाना और निरंतर सामुदायिक जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के माध्यम से स्वस्थ भोजन को भी बढ़ावा दिया जाता है। फिट इंडिया मूवमेंट को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, और आयुष मंत्रालय द्वारा योग से संबंधित विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, एनपीसीडीसीएस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के अनुसार कैंसर के लिए जागरूकता सृजन (आईईसी) कार्यकलापों के लिए एनएचएम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

2021-22 के दौरान एनएचएम के तहत गैर-संचारी रोग कार्यक्रम (एनसीडी) के लिए फ्लेक्सिबल पूल के तहत एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम में प्रदान की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक 1 में दिया गया है।

केन्द्र सरकार कैंसर की तृतीयक परिचर्या के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से तृतीयक कैंसर परिचर्या केन्द्र सुविधाओं स्कीम का सुदृढ़ीकरण कार्यान्वित करती है। उक्त स्कीम के अंतर्गत 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 तृतीयक कैंसर परिचर्या केन्द्र (टीसीसीसी) अनुमोदित किए गए हैं।

*****

अनुलग्नक 1

वित्त वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान एनएचएम के तहत एनसीडी फ्लेक्सिबल पूल के अंतर्गत एनपीसीडीसीएस के अनुमोदन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	56.96
2	आंध्र प्रदेश	4672.54
3	अरुणाचल प्रदेश	146.45
4	असम	1258.57
5	बिहार	956.30
6	चंडीगढ़	12.84
7	छत्तीसगढ़	1619.06
8	दादरा और नगर हवेली	7.05
9	दमन और दीव	
10	दिल्ली	191.15
11	गोवा	168.97
12	गुजरात	2076.80
13	हरियाणा	476.86
14	हिमाचल प्रदेश	286.28
15	जम्मू और कश्मीर	805.68
16	झारखंड	2620.26
17	कर्नाटक	4097.12
18	केरल	4250.92
19	लद्दाख	104.45
20	लक्षद्वीप	24.72
21	मध्य प्रदेश	1402.09
22	महाराष्ट्र	976.63
23	मणिपुर	623.31
24	मेघालय	416.03
25	मिजोरम	332.26
26	नागालैंड	305.43
27	ओडिशा	2158.89
28	पुदुचेरी	126.82
29	पंजाब	705.42
30	राजस्थान	4603.49
31	सिक्किम	156.78
32	तमिलनाडु	4004.70
33	तेलंगाना	3139.44
34	त्रिपुरा	383.86
35	उत्तर प्रदेश	13196.18
36	उत्तराखंड	597.75
37	पश्चिम बंगाल	3697.33

नोट:

1. उपर्युक्त आंकड़ों में गैर-आवर्ती: नवीकरण और साज-सज्जा, जिला एनसीडी क्लिनिक, सीएचसी में एनसीडी क्लिनिक आदि शामिल हैं। आवर्ती अनुदान: विविध और आकस्मिकताएं, शिक्षा और संचार और प्रशिक्षण, सार्वजनिक निजी भागीदारी, अनुसंधान और निगरानी, आदि।
2. उपर्युक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों (एफएमआर) के अनुसार हैं।